

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(वित्त विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना स. 82/2020 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.(अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (तेरहवा संशोधन) नियम 2020 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 (जिसे इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“59. जावक प्रदाय के ब्यौरे देने का प्ररूप और रीति - (i) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 की 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, धारा 37 के अधीन माल या सेवा या दानों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित है, किसी मास के या तिमाही के लिए, जैसा भी मामला हो, प्ररूप जीएसटीआर -1 में ऐसे ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रदान किए गए माल या सेवा या दानों के ऐसे जावक प्रदाय के ब्यौरे, जैसा वह आवश्यक समझे, तिमाही के पहले या दूसरे माह में, प्रत्येक माह में पचास लाख रुपये का संचयी मूल्य तक, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, (जिसे उक्त अधिसूचना में "आई एफ एफ" कहा गया है) नियम 26 के अधीन विहित रिति में साम्यक रूप से अधिप्रमाणित, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से से उस मास के 13वें दिन तक, प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) तिमाही के पहले और दूसरे माह में आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे को उक्त तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर - 1** में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।

(4) **प्ररूप जीएसटीआर - 1** में प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दानों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) सभी के बीजकवार ब्यौरे -

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिक प्रदाय और

(ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ख) सभी के समेकित ब्यौरे -

(i) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिक प्रदाय और

(ii) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया दो लाख पचास हजार रुपए तक बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ग) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किया गए विकलन या प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो ।

(5) आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा -

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिक प्रदाय के बीजकवार ब्यौरे

(ख) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन और प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो ।।

3. उक्त नियम में नियम 60 के स्थान पर 1 जनवरी 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

“60. आवक प्रदाय के अभिनिश्चित ब्यौरे का प्ररूप और रीति - (1) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 1 में या आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (प्राप्तिकर्ता) को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में, प्ररूप जीएसटीआर 4क में और प्ररूप जीएसटीआर 6क में, जैसा भी मामला हो, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(2) नियम 63 के अधीन किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 5 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(3) नियम 65 के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 6 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग ख में को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर - 7 में कटौतिकर्ता द्वारा दिए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर - 2 क के भाग ग में जिससे कटौती की गयी है को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(5) धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर - 8 में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा दिए गए स्रोत पर एकत्र किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप माध्यम से संबंधित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर - 2क के भाग ग में उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(6) प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर - 2क के भाग घ में उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर - 2ख में स्वतः तैयार किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :-

(i) पूर्ववर्ती माह की प्ररूप जीएसटीआर - 1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चात् दिन से चालू माह की प्ररूप जीएसटीआर - 1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच में उसके प्रदायकर्ता, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित प्रदायकर्ता से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे,

(ii) प्ररूप जीएसटीआर - 5 में अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटीआर - 6 में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपनी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और उनके प्रदायकर्ता, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 1 में या आई एफ एफ का प्रयोग करके प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो :-

(क) तिमाही के प्रथम मास के लिए, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 1 प्रस्तुत करने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के प्रथम मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत करने की देय तारीख तक के बीच;

(ख) तिमाही के दुसरे मास के लिए, तिमाह के पहले मास के लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने के देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के दुसरे मास लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख तक बीच;

(ग) तिमाही के तीसरे मास के लिए, तिमाही के दुसरे मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 1 को देने की देय तारीख तक के बीच;

(iii) मास में प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत एकीकृत कर के ब्यौरे ।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 2ख में विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(i) तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आई एफ एफ में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात दिन, या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 1 में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात दिन, इसमें से जो की पश्चातवर्ती हो;

(ii) तिमाही के तीसरे माह के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त माह की जावक प्रदायों को प्ररूप जीएसटीआर - 1 में प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात दिन से ।

4. उक्त नियम के नियम 61 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किए जाएंगे अर्थात :-

“(6) एकीकृत माल और सेवा अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से उत्तरवर्ती माह के 20वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे ।

परन्तु करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड रुपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगड़, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडू, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य; दमण और दीव, और दादरा और नागर हवेली, पडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 22वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा ।

परंतु और कि करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड रुपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या ओडिशा राज्य, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल

के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 24वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 61 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

“61. **विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.**- (1) यथास्थिति, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा प्रदाता या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 अथवा धारा 51 या यथास्थिति धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से नीचे यथा विनिर्दिष्ट-

(i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसी अवधि के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा :

(ii) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश राज्यों, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, पुडुच्चेरी, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्रों में है ।	ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के बाइसवें दिन ।
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान,	ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के

	उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या ओडिसा राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है ।	चौबीसवें दिन ।
--	--	----------------

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम अथवा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए इलैक्ट्रानिक नगद खाते या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते के विकलन द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा और विवरणी में ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर -3ख में सम्मिलित करेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तिमाही के प्रत्येक पहले दो मास के उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन तक प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त रकम के निक्षेप द्वारा धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के अधीन बकाया कर का संदाय करेगा:

परंतु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें अधिसूचित किए जाएं, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त रकम का निक्षेप करने के लिए नियत तारीख का विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर या संघ राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और भी कि प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में निक्षेप करते समय ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति -

- (क) तिमाही के पहले मास के लिए, इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा ;
- (ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, पहले मास के लिए बकाया कर को अपवर्जित करते हुए इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा ।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षिप्त रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उक्त तिमाही के लिए विवरणी फाइल करते समय विकलित की जाएगी और इस

प्रकार निक्षिप्त रकम में से इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष में पड़ी हुई ऐसी रकम के प्रतिदाय के किसी दावे को केवल उक्त तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-03ख में विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा । ”।

6. उक्त नियमों के नियम 61 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“61क. तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए चयन की रीति.- (1) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आशयित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे मास के पहले दिन से उस तिमाही के जिसके लिए चयन किया जाना है, उस तिमाही के पहले मास के अंतिम दिन तक इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उसकी प्राथमिकता उपदर्शित करेगा :

परंतु जहां एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भविष्य कर अवधियों के लिए तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,-

(क) इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है; या

(ख) इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करता है:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बकाया अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, उस तिमाही जिसके दौरान उसका सकल आवर्त 5 करोड़ रुपए से अधिक होता है, वह

उत्तरवर्ती तिमाही के पहले मास से इलैक्ट्रानिक रूप में सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करेगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 62 में,-

(i) उपनियम (1) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों “या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019- केन्द्रीय कर (दर), 7 मार्च, 2019 के फायदे के उपभोग द्वारा कर का संदाय” का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों “या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019- केन्द्रीय कर (दर), 7 मार्च, 2019 के फायदे के उपभोग द्वारा” का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (4) के स्पष्टीकरण में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों “या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019- केन्द्रीय कर (दर), 7 मार्च, 2019 के फायदे के उपभोग द्वारा कर संदाय का चयन” का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

7. **प्ररूप जीएसटीआर -1** में, अनुदेश में, क्रमांक 17 के उपरांत, निम्नलिखित अनुदेश डाला जाएगा, यानी:-

“18. धारा 46 के परंतुक द्वारा तहत समय - समय पर जारी अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं के लिए उल्लिखित एचएसएन कोड के अंकों की संख्या को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्दिष्ट करना बाध्य होगा ।

8. प्ररूप -2क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 2ख”

[नियम 60 (7) देखिए]

प्रारूप जीएसटीआर-2ख

स्वतः प्रारूपित आईटीसी विवरण

(प्रारूप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर और आईसगेट से प्राप्त आयात डाटा)

वर्ष	
माह	

1.	जीएसटीआईएन																			
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम																		
2.	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो																		
2.	(ग)	सृजित किये जाने की तारीख	दिन/महीना/वर्ष समय HHMM																	

3. आईटीसी का उपलब्ध सारांश
(सभी भागों में राशि रूपये में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर 3ख सारणी	एकीकृत कर (रु.)	केन्द्रीय कर (रु.)	राज्य/संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श
क्रेडिट जिसे प्रारूप जीएसटीआर-3ख के तहत लिया जा सकता है							
भाग क उपलब्ध आईटीसी - प्रारूप जीएसटीआर-3ख के संबंधित शीर्षक में क्रेडिट का दावा किया जा सकता है							
।	अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों	4(क)(5)					यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(5) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह

								ऋणात्मक (negative) है तो जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
॥	आईएसडी से आंतरिक आपूर्तियां	4(क)(4)						यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(4) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया

								जाएगा।
ब्यौरा	आई एस डी--- बीजक							
	आई एस डी--- बीजक (संशोधन)							
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (Liabl e) आवक प्रदाय	3.1(घ)4(क) (3)						इन आपूर्तियों को कर के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित करना होगा। क्रेडिट को कर का भुगतान करने पर जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
IV	माल का आयात	4(क)(1)						यदि यह धनात्मक (positive) है तो क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) के

								अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा।
ब्यौरा	आईएमपीजी-विदेश से माल का आयात							
	आईएमपीजी -(संशोधन)							
	आईएमजीएसईजैड-विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) से माल का आयात							
	आईएमजीएसईजैड -(संशोधन)							
भाग ख आईटीसी की वापसी- क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख के प्रासंगिक शीर्षक में वापस करना होगा।								
I	अन्य	4(ख)(2)						यदि यह धनात्मक (positive) है क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो

								क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकता है वशर्ते कि पहले की ऐसी स्थिति में इसको वापस कर दिया गया हो।
ब्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

4. आईटीसी उपलब्ध न होने का संक्षिप्त विवरण

(सभी खण्डों में राशि रु. में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर 3ख सारणी	एकीकृत केन्द्रीय कर (रु.) कर (रु.)	राज्य/ संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श
क्रेडिट जिसे जीएसटीआर-3ख के तहत नहीं लिया जा सकता है						
भाग क आईटीसी उपलब्ध नहीं						
।	अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों	लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक					
	बी2बी-डेविट नोट्स					

	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
II	आईएसडी से आवक प्रदाय	लागू नहीं						ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
ब्यौरा	आईएसडी--- बीजक							
	आईएसडी---संशोधन-- बीजक							
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (Liabl e) आवक प्रदाय	3.1(घ)						कर भुगतान के लिए इन आपूर्तियों की घोषणा जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। यद्यपि, उस पर क्रेडिट नहीं होगा ।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
भाग ख आईटीसी की वापसी								
I	अन्य	4(ख)(2)						क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस किया जाएगा।
ब्यौ	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							

रा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)						
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)						
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)						
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स						
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)						

निर्देश:

1. प्रयुक्त शब्दावली-
 - क. आईटीसी – इनपुट टैक्स क्रेडिट
 - ख. बी2बी – बिजनेस टू बिजनेस
 - ग. आईएसडी – इनपुट्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
 - घ. आईएमपीजी – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स
 - ङ. आईएमपीजीएसईजैड – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजैड

2. महत्वपूर्ण सलाह:

- क) प्ररूप जीएसटीआर -2ख एक ऐसा विवरण है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5, और 6 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह एक अचल विवरण है और एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5 और 6 में से किसी में भी जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उसे संबंधित आपूर्तिकर्ता के फाइलिंग की तारीख के अगले प्ररूप जीएसटीआर -2ख में दर्शाया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वो प्ररूप जीएसटीआर -2B का प्रयोग प्ररूप जीएसटीआर -3B में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये करें। हालांकि, अतिरिक्त ब्यौरे की स्थिति में, वे संबंधि प्ररूप जीएसटीआर -2क (जिसे वास्तविक समय के आधार अद्यतन किया जाता रहता है) में और अधिक ब्यौरों के लिए देख सकते हैं।
- ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट को निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध न हुआ दर्शाया जाएगा:-
 - i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं होता है।

- ii. उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो और प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में। हालांकि ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहां करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध न हो पाता हो और उसे सिस्टम द्वारा भी तैयार न किया गया हो। वहां करदाता को अपना आंकलन स्वतः करना चाहिए और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में वापस कर देना चाहिए।
3. यह देखा जाना चाहिये कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये सभी जीएसटीआर-1s, 5s और 6s, हो सकते हैं, जो सामान्यतः संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा चुने गए विकल्प (मासिक या त्रैमासिक) के आधार पर दो लगातार जीएसटीआर-1 या आईएफएफ भरने की तारीख के बीच भरे गये हैं। जिस तारीख से संबंधित डाटा लिये गए हों उसे सीजीएसटी नियम में उल्लिखित है और ऑनलाइन पोर्टल पर सलाह देखें के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरणार्थ फरवरी माह के जीएसटीआर-2ख में वे सभी दस्तावेज होंगे जो कि उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये होंगे जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 को मासिक आधार पर भरने का विकल्प चुना होगा, जो कि 12 फरवरी के 00:00 बचे से लेकर 11 मार्च के 23:59 बजे तक का होगा।
4. इसमें आइसगेट सिस्टम से प्राप्त माल के आयात से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी जिसमें विशेष आर्थिक जोन इकाईयों से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़े भी शामिल होंगे।
5. यह नोट किया जाना चाहिए कि सेवाओं के आयात पर लगने वाले प्रतिवर्ती प्रदाय कर का प्रत्यय का ब्यौरा इस विवरण में शामिल नहीं किया जाता है और इसे करदाताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3 ख के सारणी 4(क)(2) में दर्शाया जाता रहेगा।
6. सारणी 3 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक उपलब्ध होगा। इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है।
- क. भाग क में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में प्राप्त किया गया हो।
- ख. भाग ख में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में वापस किया जाना है।
7. सारणी 4 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक प्राप्त न किया गया हो। इस सारणी में उपलब्ध क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। परंतु रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने का दायित्व और क्रेडिट नोट्स की प्राप्ति पर क्रेडिट को वापस करने का दायित्व ऐसे आपूर्तिकर्ताओं पर बना रहेगा।
8. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित रखें कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न किया गया डाटा उनके रिकॉर्ड और बही खाते से मेल खाता हो। करदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि-
- क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज पर क्रेडिट दोबारा न लें।
- ख. जहां भी जरूरी हो वहाँ क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।
- ग. रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान अवश्य किया जाए।
9. बीजक, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, आईएसडी बीजक, आईएसडी क्रेडिट और डेबिट नोट्स, प्रविष्टि के बिल का ब्यौरा इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और इसको डाउनलोड किये जाने की सुविधा भी होगी।
10. ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां कर की लागू दर का प्रतिशत भी सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहां ऐसी दर लागू हो वहां बीजक/दस्तावेजों

में एक अलग से कॉलम की व्यवस्था होगी।

11. सारणीवार निर्देश

सारणी सं. तथा शीर्षक	निर्देश
सारणी 3, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हों।</p> <p>iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, बी2बी, बीजक और डेविट नोट्स में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।</p>
सारणी 3, भाग क, खण्ड II आईएसडी से आवक प्रदाय	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्टीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों।</p> <p>iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, आईएसडी संशोधन-बीजक में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।</p>
सारणी 3, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो	<p>i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता है, जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों।</p> <p>iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। कर के भुगतान पर क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।</p>
सारणी 3, भाग क, खण्ड IV माल का आयात	<p>i. इस खण्ड में आपके द्वारा भुगतान किये गये उस आईजीएसटी का ब्यौरा होता है जो कि विदेश या एसईजैड इकाईयों/डेवलपर्स से किये गये माल के आयात पर बिल ऑफ एन्ट्री और उसके संशोधन में किया गया हो। इस ब्यौरे को आइसगेट सिस्टम से निकटतम वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता रहता है।</p> <p>ii. इस सारणी में उन आयात से संबंधित डाटा होंगे जो कि आप (जीएसटीआईएन) के द्वारा उस महीने में किया गया हो जिस महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर -2ख को तैयार किया जा रहा हो।</p> <p>iii. आइसगेट की संदर्भ तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का पात्र बनता है।</p> <p>iv. इस सारणी में यह भी बताया गया है कि किन बिल ऑफ एन्ट्री में संशोधन हुआ है।</p>

	<p>v. यह जानकारी आइसगेट से प्राप्त डाटा के आधार पर सारणी में दी जाती है। कोरियर आयात जैसे कतिपय आयातों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है।</p>
<p>सारणी 3, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<p>i. इस खण्ड में प्राप्त क्रेडिट नोट्स और उसके संशोधन का ब्यौरा होता है जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई होती है और उसको उसने अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में किया होता है।</p> <p>ii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा। यदि यह मूल्य ऋणात्मक है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकेगा बशर्ते कि उसको पहले किसी स्थिति में वापस कर दिया गया हो।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड II आईएसडी की आवक प्रदाय</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होता है जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी होती हैं, जिनकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता के द्वारा की गई होती है और उसने उसे अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया होता है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। बहरहाल ऐसी आपूर्तियों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगी।</p>
<p>सारणी 4, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<p>i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर क्रेडिट नोट की पावती एवं संशोधन हो और जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 एवं 5 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा।</p>

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 603(अ), तारीख 30 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 72/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 30 सितंबर, 2020 द्वारा किया गया था ।